बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

मा0 मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के समक्ष प्रस्तुतीकरण

जून 06, 2019

भारत में आपदा प्रबंधन के विकास का इतिहास

- वर्ष 1999 में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए नीति निर्धारण के लिए एक उच्चाधिकार युक्त समिति का गठन किया।
- समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 पारित कर लागू किया गया।
- अधिनियम के अनुसार देश में आपदा प्रबंधन के लिए तृस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया-
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष, मा0 प्रधान मंत्री
  - राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष, मा0 मुख्य मंत्री
  - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी

- बिहार राज्य में BSDMA का गठन वर्ष 2007 में किया गया था ।
- BSDMA के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य सचिव नामित हैं ।
- BSDMA में कुल 8 सदस्यों का प्रावधान किया गया है जिनमे एक सदस्य अध्यक्ष सह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष नामित किया जाता है ।
- वर्तमान में BSDMA में उपाध्यक्ष तथा दो सदस्य कार्यरत हैं ।
- नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री तथा सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है ।
- BSDMA में सचिव सहित प्रशासनिक तथा professionals कोटि के कुल 49 पद स्वीकृत हैं ।

- इसके अलावा BSTN स्थापित किया जा रहा है जिसके लिए अलग से निदेशक सहित वैज्ञानिकों एवं अन्य कार्मिकों की कुल 18 पद स्वीकृत हैं ।
- BSDMA में सचिव सहित अन्य प्रशासनिक पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदस्थापन किया जाता है ।
- अन्य पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त संबंधी नियमावली के आलोक में BSDMA द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं ।
- BSDMA को उपरोक्त नियमावली द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त हैं ।
- BSDMA को राज्य सरकार से अपने कामों के लिए राशि प्राप्त होती है ।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा

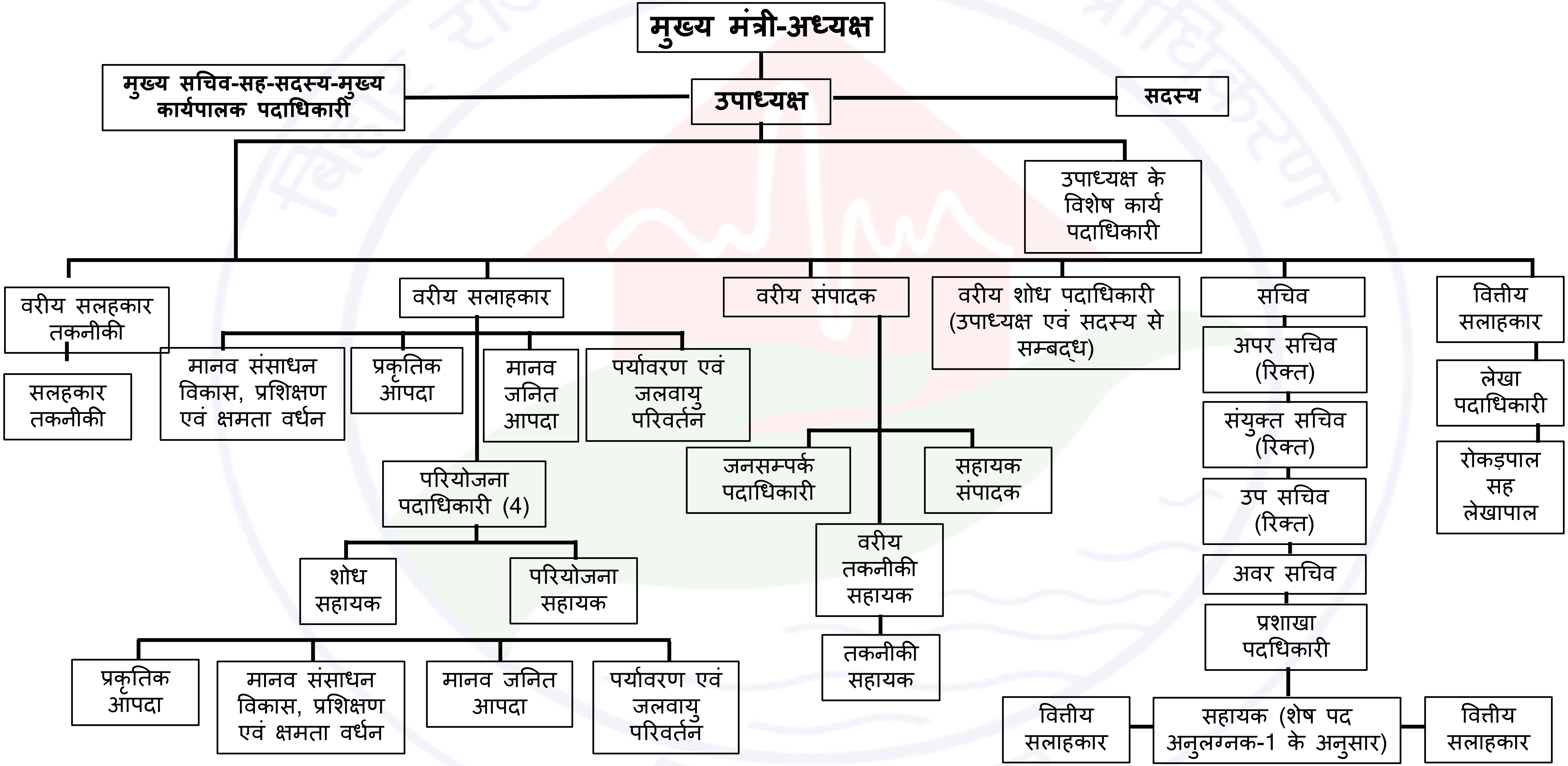

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारण के विहित कार्य:

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद- 18 के तहत प्राधिकार के निम्न कार्य हैं-

- इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राज्य के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं योजनाएँ तैयार करने की ज़िम्मेदारी होगी (आ0प्र0अ0-2005,18 -1);
- राज्य की आपदा प्रबंधन नीति तैयार करना;
- राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य योजना का अनुमोदन करना;
- राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार आपदा प्रबंधन योजनाओं को मंजूरी देना;
- राज्य सरकार के विभागों द्वारा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के शमन और रोकथाम के उपायों के एकीकरण के उद्देश्य से अनुपालन की जाने वाली गाइडलाइन तैयार करना और इस प्रकार आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना;
- राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करना;
- आपदा शमन और पूर्व तैयारियों के उपायों के लिए वित्तीय प्रावधान की सिफारिश करना;
- राज्य के विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि उन योजनाओं में रोकथाम और शमन उपायों को एकीकृत किया गया हो;
- राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारियों के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना और आवश्यकता होने पर दिशा-निर्देश जारी करना।
- राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, आपातकाल के समय में, राज्य प्राधिकरण के सभी या किसी भी अधिकार का उपयोग करने की शक्ति रखेंगे, लेकिन इस तरह की शक्तियों का प्रयोग राज्य प्राधिकरण के पूर्व की पुष्टि के अधीन होगा।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रभागवार गतिविधियाँ

प्राकृतिक आपदा प्रभाग की गतिविधियाँ

अभियंत्रण प्रभाग

- अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण
- भूकम्प सुरक्षा परामर्श केन्द्र
- वर्तमान भवनों का भूकम्परोधी मूल्यांकन
- बिहार भूकम्प दूरमापी तंत्र

अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

तकनीकी प्रशिक्षण क्यों जरूरी है?

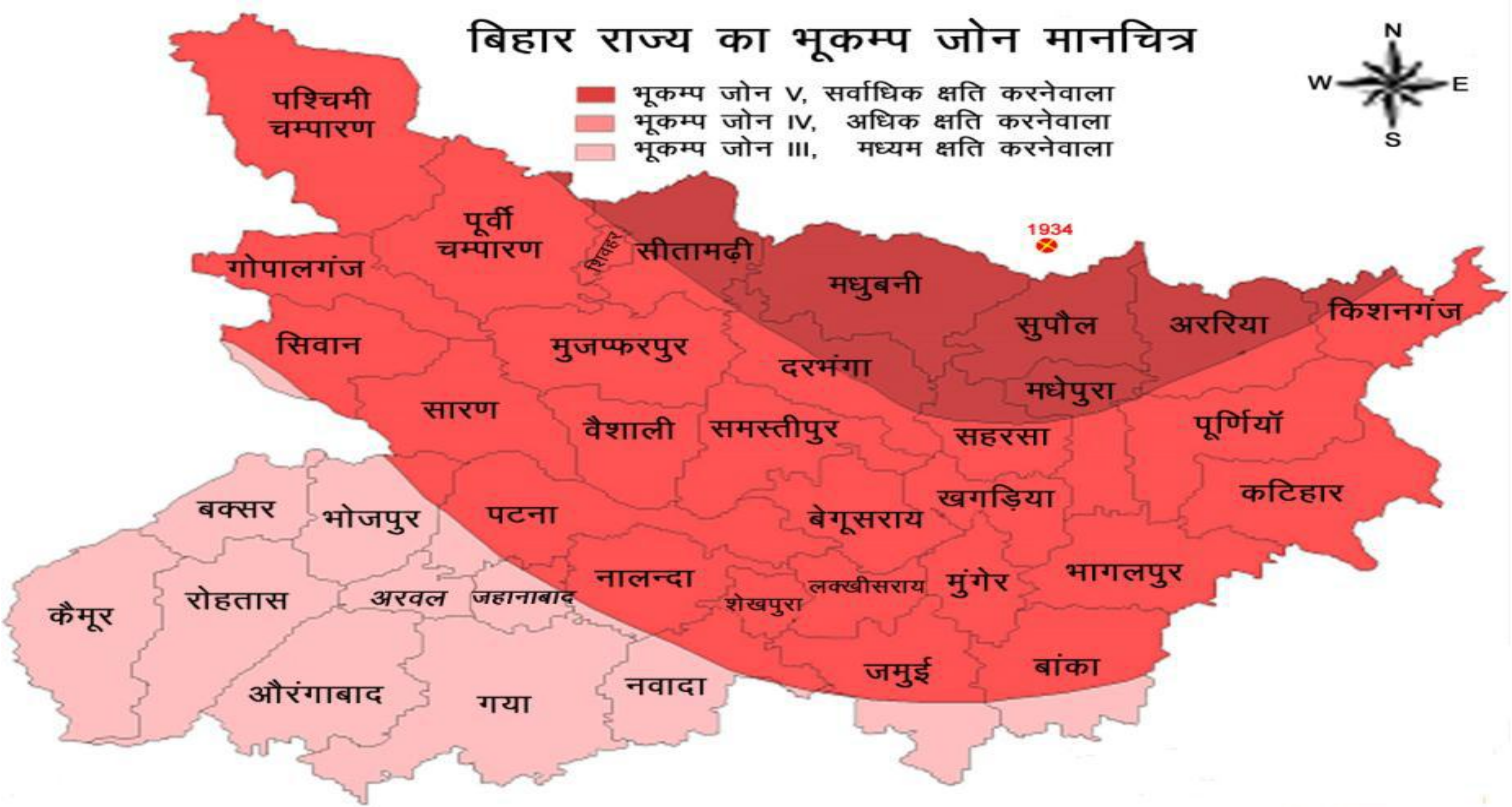
बिहार राज्य का भूकम्प जोन मानचित्र
भूकम्प जोन V, सर्वाधिक क्षति करनेवाला
भूकम्प जोन IV, अधिक क्षति करनेवाला
भूकम्प जोन III, मध्यम क्षति करनेवाला
N
W
E
S
1934
पश्चिमी चम्पारण
पूर्वी चम्पारण
शिवहर
सीतामढ़ी
मधुबनी
सुपौल
अररिया
किशनगंज
गोपालगंज
सिवान
मुजफ्फरपुर
दरभंगा
मधेपुरा
सारण
वैशाली
समस्तीपुर
सहरसा
पूर्णियाँ
कटिहार
खगड़िया
बक्सर
भोजपुर
पटना
बेगूसराय
भागलपुर
नालन्दा
लक्खीसराय
मुंगेर
शेखपुरा
कैमूर
रोहतास
अरवल
जहानाबाद
जमुई
बांका
औरंगाबाद
गया
नवादा

1934 के भूकम्प में क्षति

कोसी पुल

मुंगेर में क्षति

क्षतिग्रस्त रेल पुल

क्षतिग्रस्त रेल–लाईन

राजनगर, मधुबनी के क्षतिग्रस्त भवन

2001 में भुज के भूकम्प में क्षति

J & K EQ 2005

भक्तपुर, नेपाल, 2015

भूकम्प से अपार कष्ट

तेज चक्रवाती हवाओं से हल्के घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं

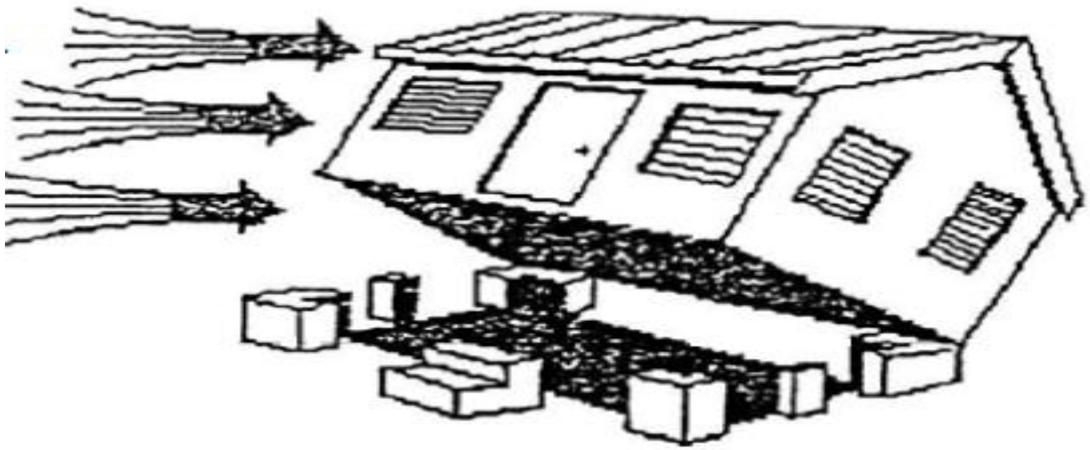

नींव एवं दीवारों के बीच
अपर्याप्त संबंध

छत एवं दीवारों के बीच
अपर्याप्त संबंध

बरामदा का उड़ जाना

तूफान के बाद भारी बर्षा से घर के
सामग्रियों की क्षति

बरसात, बाढ़ एवं जलजमाव से भी घर क्षतिग्रस्त होते हैं

मिट्टी सोंखने के कारण
दीवार की मिट्टी कट जाती है।

जलजमाव से दीवार गीला और कमजोर
हो जाता है।

बहते पानी से,
नींव कट जाता है।

बहते पानी से,
जोड़ाई का मसाला कट जाता है।

बिहार में भूकम्परोधी भवनों की तकनीकी समझ

- अससैनिक अभियन्ताओं के स्नातक पाठ्यक्रम में भूकम्परोधी भवनों के डिजाइन–निर्माण का समावेश नहीं है।
- राज्य में राजमिस्त्रियों को भवनों के निर्माण का औपचारिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश राजमिस्त्रियों का तकनीकी समझ अधूरा है।
- समाज में आमजनों के बीच आपदारोधी भवन निर्माण की तकनीकी जानकारी का अभाव है।

राज्य सरकार ने प्राधिकरण के माध्यम से, सभी अभियंताओं एवं अनुभवी राजमिस्त्रियों को भवनों के भूकम्परोधी तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु परियोजना स्वीकृत किया है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अभियंताओं / वास्तुविदों / संवेदकों / राज्यमिस्त्रियों को भवनों के, भूकम्परोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग की तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विवरणी

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण अवधि	बैचों (प्रति 30 प्रशिक्षु)	कुल प्रतिभागी
1	पटना में अभियंताओं एवं वास्तुविदों के मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण	5 दिन	8	240
2	पटना में संरचना अभियंताओं का प्रशिक्षण	5 दिन	1	30
3	पटना में वास्तुविदों का प्रशिक्षण	2 दिन	2	60
4	पटना में अभियंता प्रमुख एवं मुख्य/अधीक्षण अभियंताओं का प्रशिक्षण	2 दिन	4	120
5	38 जिलों के अभियंताओं का प्रशिक्षण	4 दिन	152	4560
6	38 जिलों के संवेदकों /निर्माणकर्त्ताओं की आपदारोधी जागरूकता	1 दिन	38	1140
7	38 जिलों में राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	3 दिन	92	2760
8	534 प्रखंडों के राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण	7 दिन	590	17700

अभियन्ताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रारम्भिक कार्य

- कार्यशाला से सुझाव प्राप्त कर प्रशिक्षण मोड्यूल बनाना।
- अभियंताओं के प्रशिक्षण के लिए पठन सामग्री तैयार करना।
- तैयार प्रशिक्षण मोड्यूल की जाँच करने हेतु बैठक।

- जनवरी–फरवरी 2017 में अभियंताओं का मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण।
- अप्रैल–मई 2017 में अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता स्तर के पदाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण।
- जिलास्तर पर कार्यपालक/सहायक/कनीय अभियंताओं के प्रशिक्षण के लिए, जिलों से प्रशिक्षण व्यवस्था संबंधी विचार–विमर्श।
- जुलाई 2017 से जिलों में अभियंताओं का चार दिवसीय प्रशिक्षण।

राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु प्रारम्भिक कार्य

- कार्यशाला/परामर्शी से सुझाव प्राप्त कर प्रशिक्षण मोड्यूल बनाना।
- तैयार प्रशिक्षण मोड्यूल की जाँच करने हेतु बैठक।
- राजमिस्त्रियों के लिए सचित्र हस्तपुस्तिका तैयार करना।
- हस्तपुस्तिका पर सुझाव प्राप्त करने के लिए बैठक।
- प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव के आधार पर हस्तपुस्तिका में सुधार।

- जनवरी–फरवरी 2018 में पटना एवं मधेपुरा में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय ट्रायल प्रशिक्षण।
- अप्रैल 2018 से प्रखंडों में राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण चल रहा है।
- करीब 45 अभियन्ताओं एवं 30 राजमिस्त्रियों का एक टीम प्रशिक्षकों के रूप में कार्यरत है।

भूकम्परोधी तकनीक पर 6 जून 2019 तक सम्पन्न प्रशिक्षण

- 1464 अभियंताओं का प्रशिक्षण : हो चुका है।

जहानाबाद, अरवल, नवादा, नालन्दा, पटना, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, गया

- 5899 अनुभवी राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण : हो चुका है।
  - 13 जिलों में 198 प्रखंडों में

सीतामढ़ी, पटना, अरवल, जहानाबाद, नवादा, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, नालन्दा, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, गया

भूकम्परोधी भवन का बंधन

बहु–तकनीक का प्रयोग : मॉडल भवन

राजमिस्त्रियों का वर्गकक्ष प्रशिक्षण

अभियंताओं का वर्गकक्ष प्रशिक्षण

भूकम्प सुरक्षा परामर्श केन्द्र

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भूकम्प सुरक्षा परामर्श केन्द्र

आमजन मुफ्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं :-

- **भवनों के भूकम्परोधी निर्माण कैसे की जाय?**
- **वर्तमान भवनों के भूकम्परोधी सुदृढ़ीकरण कैसे की जाय?**
- **बाँस से आपदारोधी घर कैसे बनाई जाय।**

  - **इस केन्द्र में वास्तविक आकार के भवन का भूकम्परोधी सुदृढ़ीकरण मॉडल देख सकते हैं।**
  - **इस केन्द्र से भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु सलाह एवं मार्गदर्शिका प्राप्त कर सकते हैं।**

सुरक्षा परामर्श केन्द्र के मॉडल

भूकम्परोधी भवन

वर्तमान भवन का सुदृढ़ीकरण

बाँस का सुरक्षित घर

हॉल के दीवारों पर सुरक्षित निर्माण की विधियां भी बताई गई है।

सुरक्षा परामर्श केन्द्र

- एन.आई टी. पटना में जनवरी 2015 से चल रहा है।
- सुरसंड पॉलीटेक्नीक, सीतामढ़ी में मार्च 2019 से चल रहा है।
- एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर में कार्य समाप्ति पर है।
- बी.सी.ई. भागलपुर में निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है।

वर्तमान विद्यालयों/अस्पतालों/सरकारी भवनों का भूकम्परोधी मूल्यांकन एवं रेट्रोफिटिंग

भवनों भूकम्परोधी मूल्यांकन एवं रेट्रोफिटिंग

- अररिया जिला के 368 विद्यालय भवनों के आर.भी.एस.
- सुपौल जिला के 76 भवनों का आर.भी.एस.
- आर.भी.एस. प्रक्रिया पर अभियंताओं का प्रशिक्षण
- प्राक्कलन बनाने एवं रेट्रोफिटिंग कराने हेतु प्रशिक्षण
- महाविद्यालयों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर उनके वर्तमान भवनों के मूल्यांकन एवं रेट्रोफिटिंग कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
- बिहार राज्य शिक्षा आधारभूत संरचना विकास नि., द्वारा मधुबनी जिला में दो विद्यालयों एवं सुपौल जिला में एक विद्यालय का रेट्रोफिटिंग कार्य कराया गया है।

बिहार भूकम्प दूरमापी तंत्र

(Bihar Seismic Telemetry Network)

बिहार भूकम्प दूरमापी तंत्र

कार्य :–

बिहार राज्य के भूतल के नीचे,
लघु भूगतिकीय संकेतों के अनुश्रवण।

महत्व:–

- 10 स्थलों पर भूगतिकीय संकेतों का चौबीसों घंटे अनुश्रवण।
- भूकम्प घटित होने पर स्थान, गहराई एवं भूकम्प की मात्रा सूचित करना।
- बिहार में भूकम्प के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करना।
- भूकम्प के आगामी खतरे के अनुसार प्रभावी भूमि प्रबंधन।

भवन निर्माण निगम के माध्यम से निर्माण कार्य

केन्द्रीय स्टेशन : सायंस कॉलेज, पटना		
क्षेत्रीय स्टेशन :–		
1	पूर्वी चम्पारण	राजकीय पोलिटेकनीक, मोतिहारी
2	मुजफ्फरपुर	एम. आइ. टी. कैम्पस, मुजफ्फरपुर
3	गोपालगंज	राजकीय पोलिटेकनीक, गोपालगंज
4	सारण	राजकीय पोलिटेकनीक, छपरा
5	पूर्णियाँ	राजकीय पोलिटेकनीक, पूर्णियाँ
6	पटना	राजकीय पोलिटेकनीक, पटना
7	सीतामढ़ी	बदीउज्जमाँखान इंस्टीटयूट ऑफ पॉलिटैक्निक, पुपरी
8	दरभंगा	दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा
9	सहरसा	कहरा प्रखण्ड कार्यालय परिसर, सहरसा
10	मुंगेर	राजकीय पोलिटेकनीक, हवेली खड़गपुर, मुंगेर

क्र0	सरकार द्वारा स्वीकृत पद	पदों की संख्या
1	Director (scientist E)	1
2	Senior Scientist (scientist D)	2
3	Scientist C	2
4	Scientist B	2
5	Research Associates	3
6	Scientific Assistant	3
7	आशुलिपिक	1
8	Lower Division Clerk	1
9	Orderly / Peons	2
10	Earth Scientist / Consultant	1

बिहार भूकम्प दूरमापी तंत्र

अग्रतर कार्य

- डायरेक्टर की नियुक्ति।
- निर्माण कार्य पूरा कराना।
- सोलर पैनेल, भीसैट, भूकम्प मापी यंत्रों की आपूर्ति एवं स्थापना।
- भीसैट द्वारा सेटेलाइट माध्यम से केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्टेशनों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित कराना।

प्राकृतिक आपदा प्रभाग की गतिविधियाँ

क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम

माननीय मुख्य मंत्री,सह अध्यक्ष,बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवाओं के पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम तय किया गया जिसके अंतर्गत निम्न गतिविधियां की गई–

- प्रशिक्षण की आवश्यकता आंकलन के लिए बिहार सेवा के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- कार्यशाला में प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामाग्री विकसित की गई।
- जिला स्तरीय एवं सचिवालय स्तरीय पदाधिकारियों के लिए अलग–अलग प्रशिक्षण किया गया।

- प्रशिक्षण मॉड्यूल के अधार पर प्रशिक्षकों का चयन किया गया तथा बिपार्ड परिसर में प्रशिक्षण आयोजित कराया गया ।
- अभी तक कुल 779 बिहार सेवा के प्रशासनिक पदाधिकारियों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर व्यवसायिक प्रशिक्षण किया जा चुका है।
- कुल 290 प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचल अधिकारियों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर व्यवसायिक प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है। शेष बचे पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आगे की कार्ययोजना में शामिल है।

जन जागरूकता एवं आपदा पूर्व तैयारी

बिहार सरकार, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी संकल्प के आलोक में प्रत्येक वर्ष पूरे राज्य में विभिन्न आपदाओं जनजागरूकता एवं आपदा पूर्व तैयारी संबंधित विभागों के साथ कराई जाती है।

बाढ़

- बाढ़ आपदा से बचाव एवं पूर्व तैयारी के लिए 01–07 जुलाई तक पूरे राज्य में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाता है।
- समाजिक क्षेत्र की सेवाओं से संबंधित विभागों जैसे–स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, समाज कल्याण एवं पंचायती राज विभाग को तकनीकी रूप से सहयोग प्रदान करने एवं उनसे संबंधित जिला एवं ग्राम स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।
- बाढ़ से बचाव एवं सुरक्षा के लिए एन0डी0आर0एफ0 एवं एस0डी0आर0एफ0 के सहयोग से मॉकड्रील का आयोजन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।
- बाढ़ से बचाव एवं सुरक्षा के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से मॉनसून आने के पहले ही एवं मॉनसून के दौरान भी जनहित में **Advisory** का प्रकाषन कराया जाता है।

भूकंप

- भूकम्प आपदा से बचाव एवं पूर्व तैयारी के लिए 15–21 जनवर्री तक पूरे राज्य में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाता है।
- भूकम्प सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न माध्यमों से मॉकड्रिल, जन–जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, रैलियों एवं विद्यालय/स्लम के बच्चों के बीच पेंटिग/ड्राइंग/नारा लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
- भूकम्प सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बचाव के लिए पूरे वर्ष सरकारी/गैर सरकारी भवनों में मॉकड्रिल का आयोजन किया जाता है। अभी तक कुल 29 भूकम्प सुरक्षा मॉकड्रिल आयोजित किए गए।
- मॉकड्रिल आयोजित करने में सहयोगी संस्थाएं –एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, अग्निशाम सेवाऐं, नागरिक सुरक्षा, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य सेवाऐं एवं अन्य भाग लेते हैं।

अगलगी

- अगलगी से बचाव एवं पूर्व तैयारी के लिए पूरे राज्य में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन प्रति वर्ष 14–20 अप्रैल तक आयोजन किया जाता है।
- इस सुरक्षा सप्ताह के दौरान शहरी क्षेत्र के बड़े भवनों, मॉल, सरकारी भवनों, बहुमंजिला भवनों में एस0डी0आर0एफ0 एवं अग्निशाम सेवाओं के सहयोग से अग्नि सुरक्षा पर मॉकड्रिल आयोजित कराया जाता है तथा संबंधित लोगों को आग से बचने के उपाय एवं आग लगने पर क्या करें व क्या न करें भी सिखाया जाता है।

अग्नि सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा मार्गदर्शिका बनाई गयी है। जिसमें संबंधित विभागों की भूमिका उल्लेखित है। यथा– (i) बिहार अग्निशमन सेवा (ii) आपदा प्रबंधन विभाग (iii) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (iv) पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (v) उर्जा विभाग (vi) शिक्षा विभाग (vii) स्वास्थ्य विभाग (viii) कृषि विभाग (ix) पशुपालन विभाग (x) जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(xi) स्वयंसेवी संस्थाएं/नागरिक समाज

- अग्नि सुरक्षा के लिए अस्पतालों को प्राथमिकता दी गयी है और पटना स्थित दस प्रमुख अस्पतालों में योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए उनमें अग्नि सुरक्षा के लिए विशेष कार्य किया गया है जिसमें सुरक्षा के सूचकांक विकसित कर उसके सापेक्ष प्रगति का आंकलन किया गया है। कई अस्पतालों में बहुत ही साकारात्मक परिणाम मिलें हैं तथा सुरक्षा के सूचकांको पर बहुत अच्छी प्रगति पाई गयी है।
- ग्रामीण अग्नि सुरक्षा एवं शहरी अग्नि सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों एवं विभागों के साथ गाईडलाईन के अनुसार कार्रवाई करने हेतु बैठके कर कार्रवाई करायी जा रही है।

अखबारों के माध्यम से जन जागरुकता

- अखबारों के माध्यम से पूरे बिहार में विभिन्न आपदाओं पर सुरक्षा से संबंधित सलाह (**Advisory**) का प्रकाशन –
- शीतलहर, भूकम्प, सुरक्षित निर्माण, अग्निकांड, खेत, खलिहानों में भूसा/डंठलों को जलाने से होने वाले नुकसान, लू, बाढ, नदियों एवं तालाबों मं डूबने से, नाव दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, दशहरा,/दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा से संबंधित ।

अग्रिम कार्ययोजना

- बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" पर व्यवसायिक प्रशिक्षण।
- **Training Need Assessment** प्रषिक्षण के आवष्यकता के अनुसार किया गया।
- मॉड्यूल निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- जिलास्तरीय भूकम्प एवं अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल कार्यक्रम ।
- सामुदायिक स्वयं सेवकों का बहु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण – 85 हजार
- मॉड्यूल निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (ज.प.अ.) प्रभाग की गतिविधियाँ

जन प्रतिनिधियों का क्षमतावर्द्धन

- बिहार की बहु–आपदा के जोखिम को पहचान कर उसके प्रभाव को कम करने हेतु पंचायत स्तर तक जन प्रतिनिधियों की क्षमतावर्द्धन की आवश्यकता महसूस की गई।
- चूँकि जन प्रतिनिधि एवं समुदाय किसी भी आपदा के समय प्रथम **Responder** होते है अतः इन्हें प्रशिक्षित कर आपदा के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- इसी के मद्देनजर बिहार के सभी प्रखंडों से चयनित एक–एक मुखिया एवं सरपंच को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण जनवरी 2018 से प्रारंभ कर अगस्त 2018 तक कुल 996 मुखिया–सरपंच को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया गया।

- इन सभी प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर (मुखिया एवं सरपंच) के द्वारा बिहार के सभी जिलों के प्रखंडों में सभी पंचायत प्रतिनिधियों (मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य एवं पंचायत समिति के सदस्य) का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से कराया गया।

- इसके लिये सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यक राशि उपलब्ध कराई गई।

- अब तक 12 जिलों से कराये गये प्रशिक्षुओं के विस्तृत आँकड़े (68011) प्राधिकरण को प्राप्त हुये है जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध किया गया है।

- बिहार के सभी 38 जिलों में प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है।

- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 2.49 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को बहु आपदा के जोखिम के न्यूनीकरण हेतु क्षमतावर्द्धन करने का लक्ष्य है।
- वर्तमान में जिलों के सभी प्रखण्डों के निर्वाचित प्रमुखों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रगति में है। अब तक कुल 287 प्रमुखों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है।
- इनके प्रशिक्षण का मॉड्यूल प्रमुखों के नेतृत्वकारी भूमिका के मद्देनजर तैयार किया गया है।

(**पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका**.pdf)

(आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर बिहार के सभी जिलों के चयनित प्रखण्डों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्षों के प्रशिक्षण की हस्तपुस्तिका.pdf)

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्य (27–28 जून 2019)
- बिहार के सभी स्थानीय शहरी निकायों के पदाधिकारी एवं चयनित वार्ड पार्षद को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर चार दिवसीय राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (अगस्त 2019 से प्रस्तावित)
- स्थानीय शहरी निकायों के पदाधिकारी एवं चयनित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के आवश्यकता के आकलन हेतु संबंधित हितधारकों के साथ कार्यशाला किया गया एवं प्रशिक्षण मॉड्यून के विषय सूची तैयार की गई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय शहरी निकायों को किन–किन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाय। (ULBs Training Module Chapter Drafting Committee.pdf)
- इसी के मद्देनजर प्रशिक्षण मॉड्यूल के निर्माण का कार्य जारी है।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप में निर्धारित कार्य के अनुरुप **Impact of Climate Change on Agriculture and Allied Works** विषय पर कार्य की रुप रेखा का निरुपण किया जा रहा है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

पशु चिकित्सकों का क्षमतावर्द्धन

- बहु आपदा का प्रभाव मानव जीवन के साथ–साथ पशुओं के जीवन को भी प्रभावित करता है।
- ग्रामीण समुदायों की जीविका पशुओं के जीवन पर आधारित है। छोटे एवं बड़े पशुओं की सुरक्षा उनके लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के मद्देनजर सभी तरह की आपदाओं में पशुओं की सुरक्षा की आवश्यता महसूस की गई और पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल का निर्माण की प्रक्रिया कई बैठक कर आरंभ की गई।
- **Management of Animals in Emergency** विषय पर मॉड्यूल के निर्माण में **WAP, PPF,** बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का सहयोग प्राप्त किया गया।
- बिहार के सभी पशु चिकित्सकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सहयोग से बिहार चिकित्सा महाविद्यालय में कराया जा रहा है। अब तक कुल 1021 पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(Management of Animal in Emergency.pdf)

- राष्ट्रीय स्तर पर तैयार **National Animal Disaster Management Plan** के अनुरुप राज्य स्तर पर **State Animal Disaster Management Plan** का प्रारुप प्राधिकरण के सहयोग से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया गया है।
- इसे अन्तिम रुप देने के लिये बिहार के सभी जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारियों एवं अन्य क्षेत्रीय पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को आमंत्रित कर एक कार्यशाला जून के अन्तिम सप्ताह में आयोजित करने का कार्यक्रम है।

जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना

हीट एक्शन प्लान का निर्माण।

- **Need Assessment and Consultation Workshop (05.05.2017, 19.05.2017, 18.07.2017, 10.04.2018)**
- सभी हितधारक विभागों एवं सिविल सोसाईटी के लिये **Preparedness and Response Plan (Heat Action Plan Eng final.pdf)**
- पटना शहर के चिन्हित 10 स्थानों पर आई0आई0टी0एम0, पूणे के सहयोग से वायु प्रदूषण की अद्यतन स्थिति संबंधी आंकडों के विश्लेषण के आधार पर वायु प्रदूषण पर पटना घोषणा पत्र का निर्माण। (Patna Declaration Hindi dt. 05.07.2018.pdf)

- पटना शहर **(Peri-Urban** सहित) में **Current Status of Water, Soil and Sound Pollution** की अद्यतन स्थिति संबंधी अध्ययन कार्य **NEERI** द्वारा करायी जा रही है। **Draft Final Report** प्राप्त है और अगले माह तक कार्य समाप्त होने की संभावना है।

ADRI
May 09,
Shaibal Gupta
Sushil Kumar Modi
Vyas Ji
U K Mishra
P N Rai

- पटना शहर के लिये आई0आई0टी0एम0, पूणे के सहयोग से तैयार की गई वायु प्रदूषण की अद्यतन स्थिति के क्रम में भागलपुर/गया एवं मुजफ्फरपुर शहरों का भी वायु प्रदूषण की अद्यतन स्थिति संबंधी अध्ययन कार्य किया जाना है।
- जल संकट पर एक कार्यशाला दिनांक 19 जून 2019 को निर्धारित है, जिसमें जल पुरुष डा0 राजेन्द्र सिंह आमंत्रित है।
- **ICIMOD , Kathmandu** के साथ कोशी बेसिन की अभियंत्रण एवं सामाजिक समस्याओं के सम्यक समाधान हेतु **Knowledge Hub** के गठन हेतु एक सहमति पत्र पर स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण प्रभाग की गतिविधियाँ

मानव संसाधन विकास, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण प्रभाग

(क) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार)।

(ख) आपदा प्रबंधन योजनाएं।

(ग) केन्द्र सम्पोषित योजनाएं।

(घ) बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क (SDRN)।

(क) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

- बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप के अंतर्गत सुरक्षित बुनियादी सेवाओं के अध्याय में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को दी गई है |
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का सूत्रण किया गया है |
- सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम को राज्य के सभी विद्यालयों में आपदा प्रबंधन सम्बन्धी गुर सिखाने के लिए संचालित करने का प्रावधान है |
- इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए तकनिकी सहयोग की जिम्मेवारी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है |

लक्ष्य:

- “घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक” विभिन्न आपदाओं का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों को कम करना एवं नियमित शिक्षण में आ़नेवाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुकसान में काफी हद तक (Substantially) कमी लाना है।

उद्देश्य:

- विद्यालय समुदाय (बच्चे, शिक्षक, अभिभावक) में आपदाओं के जोखिमों की पहचान एवं उनके कुप्रभावों को कम करने के उपायों की समझ एवं क्षमता विकसित करना।
- विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को नियमित शिक्षण प्रक्रिया में समाहित कर बच्चों में आपदा प्रबंधन की संस्कृति विकसित करना।
- विद्यालय परिसर को आपदा जोखिमों (संरचनात्मक/ गैर-संरचनात्मक) से सुरक्षित रखना।
- बच्चों के माध्यम से राज्य में आपदाओं से सुरक्षा (Resilience) की संस्कृति विकसित करना।
- बिहार के सभी विद्यालयों, सरकारी, निजी, मदरसा, संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं अन्य में इस कार्यक्रम का आयोजन

कार्यक्रम के घटक

- इस कार्यक्रम के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं -
- विद्यालयों का संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण
  - पूर्व से निर्मित विद्यालय भवनों का रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग
  - पूर्व से निर्मित भवनों को भूकम्प के अलावा अन्य आपदाओं से सुरक्षित करने तथा दिव्यांग मित्रवत् बनाने के भी आवश्यक उपाय
  - नये विद्यालयों का आपदारोधी तकनीक से निर्माण
- समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं
- सुरक्षित शनिवार के माध्यम से विद्यालय समुदाय का क्षमतावर्द्धन।

सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम

- सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर एक बहुहितभागी कमिटी का गठन किया गया |
- कमिटी के द्वारा कई बैठकों एवं कार्यशालाओं के उपरान्त इस कार्यक्रम के लिए एक अवधारणा पत्र एवं एक सन्दर्भ पुस्तिका तैयार की गई |
- इस अवधारणा पत्र के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष -2018 में प्रत्येक जिले से 14 – 16 की संख्या में शिक्षकों का चयन मास्टर प्रशिक्षकों के लिए कराया गया |
- चयनित शिक्षकों का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के तौर पर किया गया |
- राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों ने प्रत्येक जिले पर प्रखंड से चयनित शिक्षकों को जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के तौर पर प्रशिक्षित किया |
- जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों ने प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक विद्यालय के एक-एक फोकल शिक्षकों को आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया |

सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य

- विद्यालय में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बच्चों की आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाना |
- पूर्व से गठित बच्चों के संगठन जैसे मीना मंच, बाल-संसद आदि को आपदा प्रबंधन समिति से जोड़ना एवं सक्रिय करना |
- विद्यालय में बच्चों को जोखिमों को पहचानने (हजार्ड हंट) का कौशल विकसित कराया जाना |
- जोखिमों की पहचान (हजार्ड हंट) करने के उपरांत विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार कराना |
- विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत चिन्हित खतरे तथा जोखिमों के कुप्रभाव को कम करने के उपायों को हित्भागियों की सहायता से क्रियान्वित करना |
- कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं निरंतरता के लिए विद्यालय के प्रत्येक वर्ग से बाल प्रेरक का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना |
- बाल प्रेरकों द्वारा सुरक्षित शनिवार की गतिविधियों का क्रियान्वयन फोकल शिक्षक की सहायता से प्रत्येक शनिवार को किया जाना |
- प्रत्येक शनिवार को बच्चों द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए क्या कार्यक्रम किया जाएगा, इसके लिए एक वार्षिक सारणी विकसित की गई है जो पाठ्यक्रम वर्ष के 48 शनिवार को समाविष्ट करता है |

सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी

- **सुरक्षित शनिवार के 48 शनिवार में 16 प्रकार की आपदाओं को समाहित किया गया है**
- **इसमें प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के साथ सामाजिक आपदाओं को भी जोड़ा गया है**
- **आपदाओं के आने के समय के अनुरूप उनको उस माह के शनिवार में जोड़ा गया है**

उपलब्धियाँ

क्रम सं.	गतिविधि	प्रगति
1	राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक	605
2	जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक	4231
3	प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षित फोकल शिक्षक	61352
4	संकुल स्तर पर प्रशिक्षित बाल प्रेरक	234210
5	प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम आयोजित करने वाले विद्यालय	61352
6	विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने वाले विद्यालय	27690

उपरोक्त आंकड़ें शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दिए गए हैं

(ख) आपदा प्रबंधन योजनाएंः–

जिला आपदा प्रबंधन योजनाः

–राज्य के 38 जिलों में से कुल 24 जिलों की आपदा प्रबंधन योजना का प्रारूप तैयार ।

–जिनमे से 10 योजना प्रारूप जिलों से अनुशंसित।

–आपदा प्रबंधन योजनाओं में जिले की आपदा प्रवणता, संसाधन, क्षमता विकास; आपदाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी प्रत्युत्तर एवं आपदा रिकवरी इत्यादि महत्वपूर्ण अवयव शामिल।

2. शहरी क्षेत्र आपदा प्रबंधन योजना–

– TOR तैयार किया जा चुका है।

– TOR के अनुसार राज्य के 12 शहरों (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) की आपदा प्रबंधन योजना के लिए टेन्डर प्रक्रिया फाईनल।

3. विभागीय एवं कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना की TOR प्रक्रियाधीन।

(ग)केन्द्र सम्पोषित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes)

1. सामुदायिक स्वयंसेवकों का बाढ़ आपदा प्रत्युत्तर में प्रशिक्षणः–

–दो जिलों (सीतामढ़ी एवं सुपौल) के स्वयंसेवको का बाढ़ आपदा प्रत्युत्तर में दो सप्ताह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) बिहटा के सहयोग से सम्पन्न।

–दोनों जिलों के 200–200 (कुल–400) स्वयंसेवकों का 08 बैचों में प्रशिक्षण; जिनमे दो बैच कुल–54 महिला स्वयंसेविका भी शामिल रही।

2. Sustainable Reduction in Disaster Risk:-

–राज्य के दो जिलों (खगड़िया एवं समस्तीपुर) में आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न निम्न कार्यक्रम संपादितः–

–गाँव, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन एवं उन्मुखीकरण।

–विभिन्न हितधारकों (मुखिया, सरपंच इत्यादि) का प्रशिक्षण।

–आपदा प्रबंधन से संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम एवं मॉकड्रिल।

(घ) बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क

Bihar State Disaster Resorce Network

–आपदा प्रबंधन (विशेष कर प्रत्युत्तर) में प्रयोग होने वाले संसाधनों का राज्य स्तरीय Data Base/Network.

–यह संसाधन नेटवर्क आपदा या आकस्मिक दुर्घटना में तुरंत प्रत्युत्तर के लिए हितभागियों एवं प्रशासन को उपलब्ध संसाधनों की जानकारी उपलब्ध करायेंगा। यह Online Inventory प्राधिकरण की बेबसाईट पर रखी जायेगी।

–अद्यतन SDRF के कुल–714 उपकरणों की entry सम्पन्न।

–कुल 36 विभागों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण एवं Data Entry करने के संबंध में प्रशिक्षण सम्पन्न।

–इस Inventory को भविष्य में GIS-based बनाया जायेगा।

मानव प्रेरित/जनित आपदा प्रभाग की गतिविधियाँ

मानव जनित आपदा प्रभाग की गतिविधियाँ

1. सुरक्षित नौका परिचालन।
2. डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं न्यूनीकरण।
3. सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम।

सुरक्षित नौका परिचालन

सुरक्षित नौका परिचालन

1. कार्य योजना का निर्माण (नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं उनसे होने वाली मानव क्षति के न्यूनीकरण हेतु मार्गदर्शिका)

2. नाविकों एवं नाव मालिकों का प्रशिक्षण

- वर्ष 2017 में 29 बाढ़ प्रवण एवं अति बाढ़ प्रवण जिलों के नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर नीनी के सहयोग से कुल 163 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया।
- प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से 27 जिलों में कुल 5324 नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

लगातार...............

सुरक्षित नौका परिचालन

3. नौकाओं के निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधन पदाधिकारियों का प्रशिक्षणः–

- प्राधिकरण द्वारा बिहार आदर्श नौका नियमावली–2011 में वर्णित नियमों एवं प्रावधानों के अनुपालन हेतु 22 बैचों में 22 बाढ़ प्रवण एवं अति बाढ़ प्रवण जिलों के कुल 494 नौका सर्वेक्षकों एवं निबंधन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण किया गया हैं।
- प्रशिक्षण के दौरान नावों की संरचना, नावों का निबंधन, भार क्षमता का आकलन, लोड लाईन का रेखांकन एवं अनुपालन आदि से अवगत कराया जाता है।

लगातार................

सुरक्षित नौका परिचालन

कार्य योजना (नौका दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं उनसे होने वाली मानव क्षति के न्यूनीकरण हेतु मार्गदर्शिका) "क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों की भूमिका–

- परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2011 में बंगाल फेरी एक्ट– 1885 के तहत "बिहार आदर्श नौका नियमावली, 2011" बनाई गई।

- ✓ उद्देश्य – सुरक्षित नाव परिचालन के उपायों को सुनिश्चित करना ताकि नाव दुर्घटना रोकी जा सके और उसमें कमी लायी जा सके।

- ➢ बिहार सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30 में निर्धारित किये गये चार लक्ष्यों में से एक "वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं (रोड, रेल एवं नाव दुर्घटनाओं) में ठोस कमी **(Substantial Reduction)** लाने का लक्ष्य" रखा गया है।

लगातार................

सुरक्षित नौका परिचालन

सुरक्षित नौका परिचालन

- प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नौका सुरक्षा कार्य योजना में परिवहन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सहयोग से क्षमता निर्माण, जन जागरुकता, प्रवर्तन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, अध्ययन एवं शोध आदि घटकों के अन्तर्गत विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया है।
- आदर्श नौका नियमावली, 2011 के नियम 3 के तहत किसी नौका के परिचालन के पूर्व उसका निबंधन होना अनिवार्य है।
- प्राधिकरण द्वारा आदर्श नौका नियमावली के नियम 2 (झ) एवं नियम 2 (ज) के तहत के जिला पदाधिकारियों द्वारा प्राधिकृत निबंधन पदाधिकारियों एवं नौका सर्वेक्षकों के क्षमता निर्माण हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण NINI, गाय घाट, पटना में सम्पन्न कराया गया है।
- प्राधिकरण द्वारा नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है।

लगातार................

सुरक्षित नौका परिचालन

- नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सुरक्षित नौका परिचालन के उपायों के साथ ही एस0डी0आर0एफ0 के सहयोग से जीवन रक्षा कौशल विकास इम्प्रोवाइज्ड राफ्ट बनाने एवं उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
- उक्त प्रशिक्षित निबंधन पदाधिकारियों एवं नौका सर्वेक्षकों द्वारा नौकाओं के निबंधन का कार्य परिवहन विभाग एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सहयोग से पूरा किया जाना है।
- प्राधिकरण स्तर पर नाविकों एवं नाव मालिकों, सर्वेक्षकों एवं निबंधन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल विकसित की गई है।
- प्रशिक्षण के दौरान आदर्श नौका नियमावली के प्रावधानों को लागू करने हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों को अभिप्रेरित करने के साथ ही तकनीकी ज्ञान भी प्रदान किया जाता है।

लगातार...............

सुरक्षित नौका परिचालन

- नाव निर्माताओं/कारीगरों को मानक स्तर (सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत डिजाईन) के नावों का निर्माण का प्रषिक्षण दिया जाना उल्लिखित कार्य योजना का हिस्सा है। नाव निर्माताओं/कारीगरों की सूची प्रदान किये जाने हेतु परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया है।
- प्राधिकरण द्वारा निबंधन पदाधिकारियों एवं सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षित नौका परिचालन हेतु उभरी आवश्यक अनुशंसाओं के आधार पर परिवहन विभाग से बिहार आदर्श नौका नियमावली, 2011 में संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं न्यूनीकरण

डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं न्यूनीकरण

1. राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु कार्य योजना का निर्माण।

2. सुरक्षित तैराकी कार्यक्रमः प्रथम चरण में बारहमासी नदियों के लगभग 5 कि0मी0 की सीमा में अवस्थित गांवों/मुहल्लों के बच्चों एवं किशोरों के लिए तैराकी का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु "सुरक्षित तैराकी" नाम से कार्यक्रम संचालित किया गया है। आगामी समय में सुरक्षित तैराकी प्रशिक्षण तालाबों, नहरों, गढ़ढ़ों आदि के किनारे बसे गाँवों के बालक/बालिकाओं को भी दिये जाने की योजना है।

- **क) तैराकी न जानने वाले 06–18 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं को तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल (बचाव एवं प्राथमिक उपचार) का प्रशिक्षण दिया जाएगा।**
- **ख) तैराकी जानने वाले 11–18 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं को तैराकी के उन्नत प्रशिक्षण के साथ जीवन रक्षा तकनीकी का प्रशिक्षण ।**

लगातार................

डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं न्यूनीकरण

- राज्य स्तर पर मास्टर टेनर्स प्रषिक्षण एवं समुदाय स्तर पर 06 से 18 वर्ष के बालक/बालिकाओं के प्रषिक्षण हेतु NINI, SDRF, NDRF एवं UNICEF के सहयोग से एक प्रषिक्षण मॉड्यूल तैयार की गई।
- प्रषिक्षण मॉड्यूल की Testing के लिए पंडारक एवं मनेर प्रखंड के चयनित मास्टर ट्रेनर्स का 07 दिवसीय पॉयलट प्रषिक्षण NINI में सम्पन्न कराया गया।
- पॉयलट प्रषिक्षण प्राप्त अनुभवों के आधार पर तैराकी कौशल की दक्षता, शैक्षणिक अर्हता, प्रषिक्षुओं की आयु सीमा एवं प्रषिक्षण अवधि में आवष्यक संषोधन करते हुए सुरक्षित तैराकी मास्टर ट्रेनर्स प्रषिक्षण की अवधि 08 कार्य दिवसों सहित कुल 09 दिनों की निर्धारित की गई।

लगातार................

डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं न्यूनीकरण

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण के प्रथम बैच में पंडारक एवं मनेर प्रखंड, पटना के कुल 21 युवकों का 09 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न कराया गया है।

- जून माह 2019 के द्वितीय सप्ताह में मनेर एवं फतुहाँ प्रखंड, पटना की युवतियों का मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण । दिनांक 13.06.2019 से 21.06.2019 तक संपन्न कराया जाना तय किया गया है।

- राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण के आयोजन हेतु **संशोधित अर्हताओं** के अनुसार जिला पदाधिकारी भोजपुर, बक्सर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय आदि जिलों से गंगा नदी के किनारे स्थित प्रत्येक गाँव से 10–10 युवक/युवतियों की सूची भेजने हेतु अनुरोध किया गया है।

डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं न्यूनीकरण

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम संचालन में विभिन्न हितभागियों की भूमिका

- **सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम सांगठनिक ढांचा –**

❖ कार्यक्रम का संचालन राज्य स्तर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा।

❖ आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार अग्निशाम सेवा एवं होमगार्ड्स, स्थानीय पुलिस प्रशासन, पंचायतों, स्वास्थ्य कर्मियों, एवं अन्य हितधारकों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

लगातार...............

डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं न्यूनीकरण

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम संचालन में विभिन्न हितभागियों की भूमिका

- स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला प्रशासन/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी के माध्यम से कराया जाना है।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बांस/बल्ले तथा जाली से घेरकर बनाये गये अस्थाई तरण–ताल में बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है।
- स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण हेतु गाँव का चयन एवं हितभागियों के साथ बैठक, प्रषिक्षण स्थल का चयन जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से किया जाना है।
- स्थानीय स्वयंसेवी संगठन, पंचायत प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के फोकल शिक्षक की सहायता से चयनित गाँवों एवं विद्यालयों में सघन रुप से जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाना।

लगातार...............

डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं न्यूनीकरण

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम संचालन में विभिन्न हितभागियों की भूमिका

- मास्टर ट्रेनर्स एवं स्थानीय प्रषासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण के लिये बच्चों का पंजीकरण, प्रषिक्षण स्थल पर अस्थाई तरण–ताल का निर्माण एवं प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जायेगा।
- UNICEF, स्थानीय स्वयंसेवी संगठन एवं मास्टर ट्रेनर्स द्वारा समुदाय का बाल सुरक्षा के मुद्दो पर संवेदीकरण करना।
- प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस पदाधिकारी की मदद से सुनिष्चित करना।
- जिले में आयोजित प्रशिक्षणों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं दस्तावेजीकरण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से करना।

लगातार................

डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं न्यूनीकरण

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम संचालन में विभिन्न हितभागियों की भूमिका

- प्राधिकरण द्वारा UNICEF के सहयोग से प्रशिक्षकों, प्रशिक्षुओं, समुदाय एवं प्रशासन आदि के उपयोग के लिये सूचना, शिक्षा, संचार, सामग्रियों का निर्माण, संकलन एवं प्रकाशन करना।
- जिलों में आयोजित प्रशिक्षणों का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित अनुश्रवण टीम द्वारा किया जाना।
- राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स एवं स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के डाटाबेस, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा UNICEF के सहयोग से करना।

लगातार...............

डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं न्यूनीकरण

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम संचालन में विभिन्न हितभागियों की भूमिका

- कार्यक्रम संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर वित्तीय प्रबंधन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा करना।
- सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के प्रभावों का अध्ययन एवं सतत मूल्यांकन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं UNICEF के द्वारा करवाना।

लगातार................

सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

- प्राधिकरण द्वारा हितभागियों के सहयोग से राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण हेतु कार्य योजना (मार्गदर्षिका) का अंतिम प्रारुप तैयार किया गया।
- **सड़क सुरक्षा सप्ताह 04–10 फरवरी 2019** के दौरान प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के समन्वय में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु साइकिल रैली, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक एवं अस्पताल पूर्व चिकित्सा पटना के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में लगभग **6028 लोगों के बीच जागरूकता एवं संवेदीकरण** का कार्य किया गया।

लगातार...............

सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

- **मार्च 2019** में प्राधिकरण द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, संकल्प ज्योति एवं जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा (प्रेरणा) संस्थाओं के सहयोग से कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक एवं मानव श्रृंखला के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में पटना के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में लगभग **2477 लोगों के बीच जागरूकता एवं संवेदीकरण** का कार्य किया गया।
- **वर्ष 2017–2018 में एम्स एवं बिहार राज्य ऑटोरिक्षा चालक संघ** के सहयोग से पटना स्टेशन पर स्थित आजाद पार्क टेम्पो स्टैण्ड में आँख एवं सामान्य स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किया गया। जिसमें लगभग कुल **1268 ऑटो रिक्षा चालक एवं अन्य समुदाय** के लोग लाभांवित हुए।

लगातार................

सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

- वर्ष 2017 में प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपनियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा सप्ताह 9–15 जनवरी 2017 के बीच कुल 2,10,56000 के बीच सड़क दुर्घटना संबंधी दांवों को का निपटारा किया गया ।
- प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के सहयोग से वर्ष 2017 एवं 2018 में समुदाय,वाहन चालकों एवं पदयात्रियों के बीच सडक सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु पटना, सारण,भोजपुर,हाजीपुर, मुज्जफरपुर एवं जहानाबाद आदि जिलों में **"सड़क सुरक्षा सत्याग्रह"** कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- प्राधिकरण द्वारा जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवहन विभाग, AIIMS, Red Cross एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों /संस्थानों के छात्र/छात्राओं को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा जागरुकता हेतु एक पाठ्यचर्या का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

धन्यवाद